

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 02/2024

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी आदर्श चवा

श्री लाधाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति
जाट निवासी हनुमानसागर तहसील
बाडमेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.08.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2081 के दौरान ग्राम केरली के खसरा नम्बर 1357 रकबा 3.9254 हैक्टेयर किस्म गांव के मार्ग व पगडं भूमि में से 0.2104 हैक्टेयर भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाह्य तामिल होकर प्राप्त।
03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया एवं अपने जवाब में प्रकट किया कि विप्रार्थी द्वारा रात के अंधेरे में बुवाई करते वक्त भुलवश मार्ग पर बुवाई कर दी थी परंतु प्रार्थी का अतिक्रमण करने का गलत विचार नहीं था कटाण मार्ग का सही माप नहीं होने से उक्त मार्ग प्रार्थी की भूमि से ही निकलता है अतः न्यायालय नोटिस खारिज करने का निवेदन किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने गांव के मार्ग व पगडं भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.08 का 50 गुना रुपये 04/- (अक्षरे चार रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. भू-अभिलेख निरीक्षक चवा एवं पटवारी आदर्श चवा को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रामलाल)

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण